

कार्यालय जिला रसद अधिकारी (प्रथम) उदयपुर

क्रमांक : रसद/प्रकरण/६९/२१/१४/६३३

दिनांक : 15.09.2016


निलामी विज्ञापित सं. 1/2016

सर्वसाधारण की सूचित किया जाता है कि गानगीय न्यायालय जिला कलकटर उदयपुर के द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 8-ए के अंतर्गत विभिन्न प्रकरणों में जवाबुदा के अंतिम/अंतरिम निस्तारण के आदेश पारित किये गये हैं। अतः निस्तारण योग्य वस्तुओं की इस कार्यालय द्वारा निम्न सामग्री को खुली बोली द्वारा 'जहां है जैसा है' के आधार पर गठित कमेटी द्वारा निर्धारित दिनांक 14.10.2016 को अपराह्न 01.00 बजे से निलामी प्रारंभ की जावेगी। इच्छुक संक्षम खरीददार धरोहर राशि निर्धारित निलामी दिनांक 14.10.2016 को 12.00 बजे पूर्व तक जमा करवाकर निलामी में भाग ले सकते हैं-

क्र. सं.	सामग्री का नाम	स्थान जहां सामग्री निलामी की जायी है	अनुमानित मात्रा	धरोहर राशि	निलामी की दिनांक
1	पेट्रोलियम प्रोडक्ट (एच एस डी)	पुलिस थाना सुखीर	49000 ली.	50000/-	14.10.2016

निलामी की शर्तें-

1. सामान की मात्रा अनुमानित है जो नीचे पर कम या अधिक हो सकती है। उसी के अनुसार निलामी की जाएगी। निलामी इज्जत केन्दर की जायेगी।
2. धरोहर राशि कोलम 5 में दर्शावानुसार बोली के निर्धारित समय से पूर्व डीडी/बैंकर चैक/नगद द्वारा जिला रसद अधिकारी (प्रथम) उदयपुर के नाम से निलामी कमेटी को जमा करवाना होगा।
3. बोलीदाता समय उपस्थित होकर बोली में भाग ले सकेगा।
4. बोलीदाता के पास एक हजार लीटर डीजल से अधिक मात्रा कच करने के लिए संक्षम विभाग की अनुमति होना आवश्यक है। यदि संक्षम अनुमति धारण बोलीदाता नहीं करते हैं तो डीजल 1000 लीटर के बाद बचाकर निलामी की जाएगी। इसके लिए अमानत राशि निर्धारित मूल्य की 2 प्रतिशत नगद जमा करानी होगी।
5. उक्त आइटम जैसा है जहां है तथा जैसी स्थिति में है के आधार पर ठिकठ किया जायेगा।
6. इच्छुक बोलीदाता मण्डारित पदार्थ का नियमानुसार निरीक्षण कर सकता है।
7. सामान का विस्तृत विवरण कार्यालय में ज्ञात किया जा सकता है।
8. डाक/दूरभाष/ई-मेल द्वारा बोली मान्य नहीं होगी।
9. गठित निलामी समिति के समक्ष निलामी की जायेगी।
10. उच्चतम बोलीदाता जो पक्ष में बोली चूटने पर बोलीदाता को कुल किंमत तुरंत जमा करनी होगी। सफल बोलीदाता द्वारा राशि जमा न चलवाने पर धरोहर राशि फसल कर ली जायेगी।
11. सफल बोलीदाता द्वारा भागधारण स्थल से पदार्थ/वस्तुओं का उठाव निलामी स्वीकृति दिनांक की ही किया जायेगा।
12. सफल बोलीदाता को केन्द्र/राज्य सरकार के नियमानुसार समस्त कर (आयकर/बिछीकर/वैट इत्यादि जो भी देय हो) देना होगा।
13. बोली स्वीकृत/निरस्त करने का अधिकार समिति/विभाग को पास सुरक्षित रहेगा तथा कारण बताना आवश्यक नहीं होगा।
14. निलामी के संदर्भ में अन्य किसी जानकारी हेतु जिला रसद अधिकारी (प्रथम) उदयपुर के कार्यालय में कार्य दिवस में संपर्क किया जा सकता है।
15. न्याय क्षेत्र उदयपुर होगा।


 जिला रसद अधिकारी
 उदयपुर-प्रथम

प्रकाशन के लिये नहीं

क्रमांक रसद/प्रकरण/6ए/21/14/633

दिनांक : 15.09.2016

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. अतिरिक्त आयुक्त, खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग, राज0 जयपुर।
2. दिव्य सलाहकार, खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग, राज0 जयपुर।
3. सहायक निदेशक, सूचना एवं जन संपर्क कार्यालय, उदयपुर को सूचनाार्थ।
4. पुलिस अधीक्षक उदयपुर।
5. संबंधित अति-जिला कलक्टर उदयपुर को भीलामी की कार्यवाही में निर्धारित दिनांक को उपस्थित होने हेतु।
6. कोषाधिकारी उदयपुर शहर को भीलामी की कार्यवाही में निर्धारित दिनांक को उपस्थित होने हेतु।
7. जिला समन्वय, ऑयल इण्डस्ट्रीज, उदयपुर
8. संबंधित थानाधिकारी, पुलिस थाना सुखेर को भेज लेख है कि स्थानीय स्तर पर डीजल खरीदने के लिये प्रसार प्रसार करावे।
9. संबंधित इन्चार्ज अधिकारी/निरीक्षक
10. रक्षित पत्रावली।


जिला रसद अधिकारी
उदयपुर-प्रथम